

दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रथम अपीलिय अधिकारी (RTI) निदेशक (सतर्कता)
कमरा नं० 401 वरुणालय खण्ड द्वितीय, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

सं० दि०ज०बो०एफ ए ए आर टी आई/679/अपील/6760

दिनांक: 16.07.2015

श्री रामानन्द, _____ अपीलकर्ता

बनाम

जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) _____ प्रतिवादी

आदेश

श्री रामानन्द, पुत्र श्री हरनारायण सिंह ने श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि०ज०बो०/सतर्कता/2460/9000/15/5210 दिनांक 19-05-2015 द्वारा सूचना का अधिकार के अर्न्तगत दी गई सूचना के विरुद्ध अपील दायर की थी ।

श्री रामानन्द, अपीलकर्ता उपस्थित थे एवं श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं थे।

मैंने अपीलकर्ता को सुना और रिकार्ड को देखा । अपीलकर्ता ने अपनी अपील में प्रश्नों की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था । जन सूचना अधिकारी के उत्तर के अनुसार सतर्कता विभाग में जांच प्रगति पर है । कार्रवाई की सूचना इस समय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) h के प्रावधान के तहत नहीं दी जा सकती ।

मैं जन सूचना अधिकारी के उत्तर से सहमत हूँ ।

उपरोक्तानुसार अपील को निस्तारित किया जाता है ।



प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री रामानन्द, पुत्र श्री हरनारायण सिंह, गांव कागनहेडी, डाकघर छावला, नई दिल्ली
2. श्री आर० के० सिंघल, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता)
3. अधिशासी अभियन्ता (ई० डी० पी०) आदेश को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईड पर अपलोड करें ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

AAE l

15/07-15

Kelle
15/7-15